संख्या-1017/33-3-2020-11 /2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊः दिनांक 16 जून, 2020

विषयः पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनान्तर्गत ऑन लाईन पेमेन्ट प्रणालीः पी0एफ0एम0 एस0 एवं प्रिया-सॉफ्ट के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-सी0सी0ए0/पी0आर0/पी0एफ0एम0एस0/रिपोर्ट/2018-19, दिनांक-28 नवम्बर, 2019 में यह निर्देश दिए गए हैं कि पंचायती राज विभाग के केन्द्र पुरोनिधानित समस्त योजनाओं की धनराशि पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से ही व्यय की जायेगी। इस कम में सभी सम्बन्धित एजेंसी एवं वेण्डर्स को पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर रजिस्टर एवं मैप करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों एवं वेण्डर्स को भुगतान पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी एजेंसी द्वारा वेण्डर, मजदूर अथवा कार्यालय व्यय हेतु एडवांस का भुगतान REAT (Receipt Expenditure Advance and Transfer Model) जो पी.एफ.एम.एस. पर है, उसके माध्यम से ही किया जाना है। पंचायती राज विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही योजनाओं में भुगतान अभी भी भारत सरकार द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों के अनुसार नहीं हो पाया है।

2. दिनांक 30.06.2020 के उपरान्त सभी भुगतान पी.एफ.एम.एस./REAT (Receipt Expenditure Advance and Transfer Model) की व्यवस्था के अनुसार ही किए जाने चाहिए। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं किए गए भुगतान की राशि की वसूली भी उनसे की जा सकती है।

3. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सभी सम्बन्धित द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i.) कियान्वित की जा रही योजनाओं में राज्य वित्त आयोग की धनराशि सीधे ट्रेजरी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाती है। शेष योजनाओं का राज्य स्तर पर बैंक खाता है। कतिपय योजनाओं का वर्तमान में राज्य स्तर एक से अधिक खाते संचालित हैं इसे समाप्त किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर प्रत्येक योजना का एक बैंक खाता होगा, जिसमें केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली योजनान्तर्गत धनराशि जमा की जाएगी। सम्बन्धित योजना में IEC, CB व प्रशासनिक मद के लिए प्राप्त धनराशि को एक पृथक् खाते में राज्य स्तर पर रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner

(ii.) अगर किसी योजना की धनराशि जनपद स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भेजी जाती है तो जनपद स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रत्येक योजना का एक पृथक्–पृथक् बैंक खाता होगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जनपद स्तर का उस योजना विशेष से सम्बन्धित बैंक खाता योजना के राज्य स्तरीय बैंक खाते के साथ मैप्ड होगा। ग्राम पंचायत स्तर से मैटेरियल के भुगतान के लिए वेण्डर व मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरों का बैंक खाता भी पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से मैप किए जायेंगे। चूँकि केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की धनराशि जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत को भी विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। अतः जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों को भी पी.एफ.एम.एस. की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

4. माह जून, 2020 तक ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि निम्नवत व्यवहृत हो रही है। ग्राम निधि–1 में ग्राम पंचायत के स्वयं की सम्पत्तियों से प्राप्त आय एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की धनराशि रखी जा रही है। ग्राम निधि–6 में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि रखी जा रही है।

5. 'ग्राम निधि' उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947 की धारा–32 पर परिभाषित है। ग्राम निधि (प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम निधि) होगी और वही धारा–41 के अधीन पारित आय व्यय के आर्थिक तखमीनों (Estimates) व उपबन्धों के अधीन रहते हुए 'इस अधिनियम का किसी अन्य विधायन (Enactment) के अधीन ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा उसकी किसी समिति पर आरोपित (Imposed) किए गए कर्तव्यों, दायित्वों को निभाने में उपयोग में लायी जायेगी।''

6. उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा–32 (2) में उल्लिखित योजनायें/कार्य जिसकी धनराशि ग्राम निधि–1 में रखने का उल्लेख है, उसमें केन्द्र सरकार से उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि शामिल नहीं हैं।

7. PFMS की व्यवस्था लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक योजना की धनराशि राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक्–पृथक् बैंक खाते में हो, जो एक दूसरे के साथ Linked हो एवं राज्य स्तरीय खाते के साथ मैप्ड हों।

8. अभी ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन को छोड़कर शेष योजनाओं की धनराशि एक ही बैंक खाते में यानि कि ग्राम निधि–1 में है, अतः इस व्यवस्था में PFMS का योजनावार क्रियान्वयन सम्भव नहीं है।

9. अतः स्वच्छ भारत मिशन ग्राम निधि–6 में रखते हुए शेष योजनाओं की धनराशि को ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक्–पृथक् बैंक खाते योजनावार खोलकर व्यवहृत किया जाए ताकि उन्हें PFMS के अन्तर्गत Priya-soft जिला व राज्य स्तरीय खाते से Link एवं मैप किया जा सके।

10. उपरोक्त योजनाओं में विभिन्न स्तर पर मेकर व चेकर निम्नवत् होंगे :–

| क.सं. | योजना | राज्य स्तर | | जनपद स्तर | | ब्लाक स्तर | | ग्राम पंचायत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मेकर | चेकर | मेकर | चेकर | मेकर | चेकर | मेकर | चेकर |
| 1 | स्वच्छ भारत मिशन | नोडल अधिकारी | मिशन निदेशक | जिला पंचायत राज अधिकारी | मुख्य विकास अधिकारी | – | – | सचिव | ग्राम प्रधान |
| 2 | राज्य वित्त | उप | निदेशक, | | | सहायक विकास | खण्ड विकास | सचिव | ग्राम |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आयोग | निदेशक (इंचार्ज राज्य वित्त आयोग) | पंचायती राज | | | अधिकारी (पंचायत) | अधिकारी | | प्रधान |
| 3 | केंद्रीय वित्त आयोग | प्रभारी उप निदेशक | निदेशक, पंचायती राज | | | सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) | खण्ड विकास अधिकारी | सचिव | ग्राम प्रधान |
| 4 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | नोडल अधिकारी | निदेशक, पंचायती राज | | | — | — | सचिव | ग्राम प्रधान |
| 5 | अंत्येष्टि स्थल | उप निदेशक | निदेशक, पंचायती राज | — | — | — | — | सचिव | ग्राम प्रधान |

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर मेकर कार्यालय सहायक तथा चेकर मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) होंगे।

11. पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में पी.एफ.एम.एस./REAT (Receipt Expenditure Advance and Transfer Model) की व्यवस्था सुचारू रूप से लागू करने एवं संचालित करने के लिए राज्य स्तर पर निम्न टेबिल में दिए गए कन्सल्टेंट उत्तरदायी होंगे।

| कम सं0 | योजना का नाम | राज्य स्तर पर P.F.M.S. एवं प्रिया सॉफ्ट व्यवस्था संचालन के लिए उत्तरदायी कन्सल्टेंट का नाम | मोबाईल नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | स्वच्छ भारत मिशन | श्री अक्षय पटेल | 7571995216 |
| 2. | राज्य वित्त आयोग | श्री प्रशान्त कुमार | 7318549130 |
| 3. | केंद्रीय वित्त आयोग | श्री अभिषेक श्रीवास्तव | 9554355554 |
| 4 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | श्री रितेश शर्मा | 8800690461 |
| 5 | अंत्येष्टि स्थल | श्री अजय कुमार | 8920254738 |

12. उपरोक्त व्यवस्था को लागू करने में यदि जनपद स्तर के अधिकारी व कर्मचारी को कोई परेशानी आती है तो उपरोक्त कर्मियों से सीधा सम्पर्क कर समस्या का निदान कर सकते हैं। उपरोक्त पैरा–11 पर राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग के लिए जो कन्सल्टेंट इंगित किए गए हैं वहीं इस व्यवस्था को क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों में लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। शासनादेश संख्या–4/का0/81/2013–4/58/2009, दिनांक–14.03.2013 में उल्लिखित SPMU तथा DPMU इस व्यवस्था को लागू करने तथा संचालित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

16.6.20.

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

**उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with CamScanner

4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner